न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 117/2025
अन्तर्गत धारा 251 क RT Act

प्रार्थी :– 1. भरतदान 2. अर्जुनदान पि. मघदान 3. मघदान 4. शक्तिदान पि. आवडदान जाति चारण निवासी बूठ राठौड़ान तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण:– 1. गोरधनराम 2. जोधाराम पि. रेसाराम 3. चंदू पत्नी राणा 4. आदाराम पुत्र मारकाराम 5.. हुकमा 6. हंसिया. पि. उगा 7. राणा पुत्र उगा कायम मुकाम 7/1 खमाराम 7/2 रिजूराम पि. राणा 7/3 माडू पत्नी राणा जातियान मेघवाल निवासी मले का तला बूठ राठौडान तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

वकील प्रार्थीगण :– श्री उम्मेदसिंह सोढा
विप्रार्थीगण :– राज़ पेरोकार उपस्थित, शेष एकतरफा

–:: निर्णय ::–

दिनांक 11.05.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा मले का तला, पटवार हल्का बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन में खसरा संख्या 46 रकबा 38.2751 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा तथा अपने रहवासी घर, टांके आदि बने हुए है।

प्रार्थी के जोंत व रहवासी ढाणी पर आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत मौजा मले का तला, पटवार हल्का बूठ राठौड़ान तहसील चौहटन में खसरा संख्या 574/43, 1051/43, 575/43, 44, 45 रकबा क्रमशः 6.9120, 4.8562, 2.0477, 14.7710, 3.4479 हैक्टेयर मे से होकर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एक मात्र रास्त है। रास्ते को लेकर भारी विवाद है। झगड़ा होने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है।

प्रार्थी को अपनी खातेदारी खेत मौजा मले का तला, पटवार हल्का बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन में खसरा संख्या 46 रकबा 38.2751 हैक्टेयर में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के मौजा मले का तला, पटवार हल्का बूठ राठौड़ान तहसील चौहटन में खसरा संख्या 574/43, 1051/43, 575/43, 44, 45 रकबा क्रमशः 6.9120, 4.8562, 2.0477, 14.7710, 3.4479 हैक्टेयर में रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि 25 फीट परिशिष्ट "अ" में बरंग लाल रंग से दर्शाये अनुसार रास्ता चाहा गया है जिसके लिए यह संशोधित राजस्व आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पूर्व आवेदन में विप्रार्थीगण के नोटिस मय डाक रसिद प्राप्त पर्याप्त समय बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब करने पर तहसीलदार चौहटन के पत्रांक भू.अ./2025/1408 दिनांक 21.07.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त।

तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट में विकल्प प्रथम अनुसार रास्ते दिये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात् व तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गहराई से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1051/43	4.8562	बा.दो.	25 फीट	0.1456 हैक्ट.	मले का तला	चंदू पत्नी राणाराम कौम मेघवाल
2	575/43	2.0477	बा.दो.	25 फीट	0.0566 हैक्ट.	मले का तला	गोरधनराम पुत्र रेसाराम कौम मेघवाल

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में बरंग ,लाल विकल्प प्रथम से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन की ओर से प्रस्तावित उपरोक्त रास्ता खसरा संख्या 1051/43 में छोटे पेड़ पांच बताया गया। अतः तहसीलदार उक्त प्रस्तावित रास्ता में पेड़ो का नियमानुसार निस्तारण करने के उपरान्त उक्त रास्ता का रेकर्ड में अंकन करेगा।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) () में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

अतः प्रभावित (पक्षकारों)/विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थी द्वारा देय होगी और प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण / प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल विकल्प प्रथम में दर्शाया गया 25 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अभिन्न अंग रहेगा। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में कि जावें जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 25 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

5. प्रार्थीगण को उक्त 25 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 25 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग लाल विकल्प प्रथम अनुसार दिए जाने का आदेश आज दिनांक 11.05.2026 को दिया जाता है। नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(रणछोड़ लाल)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन